न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 52 / 2020

1. श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी श्री अशोक शर्मा, उम्र 53 साल, जाति ब्राहम्मण, निवासी वार्ड नंबर— 20, सेखसरिया गर्ल्स कॉलेजा के पास चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक झुन्झुनूं।
2. महिला एवं बाल विकास विभाग,झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्ट

अपील आदेश क्रमांक 226 दिनांक 22.06.2020 द्वारा
कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी चिड़ावा

उपस्थितिः—

1 श्री धीरज कुमार बोयल, एडवोकेट ——— ———अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट———————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 12.03.2011

उक्त अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक 226 दिनांक 22.06.2020 द्वारा कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी चिड़ावा के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि— अपीलांट चिड़ावा की निवासी है। आदेश क्रमांक 214 दिनांक 22.4.2006 द्वारा रेस्पोंडेन्ट नंबर 2 के आदेश से आंगनबाडी कार्यकर्ता नगरपालिका क्षेत्र चिड़ावा में चयनित है। अपीलांट एम.ए.तक पढी लिखी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो विभागीय आदेश व कानून को समझने वाली है। अपीलांट ने वर्ष 2020 तक राज्य सरकार के दिशा निर्देश व रेस्पोंडेंट नंबर 2 के आदेशों की पालना बखूबी निभाई है। किसी प्रकार की कोई शिकायत अपीलांट के विरूद्ध नहीं की गई। अपीलांट एक कर्मठ कार्यकर्ता है। रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने दिनांक 26.6.2020 को पत्र क्रमांक 226 क

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

आधार पर अपीलांट की सेवायें समाप्त कर दी और अपने आदेश में श्रीमान उपनिदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं झुंझुनू के पत्र क्रमांक 14109 दिनांक 24.6.2020 के अनुमोदन पत्र के प्राप्त होने के बाद सेवाएं समाप्त की जबकि अपीलांट को रेस्पोडेंटस ने इस बाबत कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया था। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट ने 14 वर्ष तक आंगनबाडी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवायें प्रदत्त की हैं और इस कार्यकाल के दौरान कोई अनुशासनहीनता एवं निर्देशों की अवहेलना कभी नहीं की गई। रेस्पोंडेंट नंबर 2 के द्वारा पारित आदेश भी इस बात को कहीं स्पष्ट नहीं करता, कि कौनसे कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया और कौनसे उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना उच्चाधिकारियों ने की है। इस प्रकार रेस्पोंडेंट नंबर 2 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.6.2020 खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेंट नंबर 2 के आदेश दिनांक 26.6.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अपीलांट चिड़ावा की निवासी है। आदेश क्रमांक 214 दिनांक 22.4.2006 द्वारा रेस्पोंडेन्ट नंबर 2 के आदेश से आंगनबाडी कार्यकर्ता नगरपालिका क्षेत्र चिड़ावा में चयनित है। अपीलांट एम.ए.तक पढी लिखी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो विभागीय आदेश व कानून को समझने वाली है। अपीलांट ने वर्ष 2020 तक राज्य सरकार के दिशा निर्देश व रेस्पोंडेंट नंबर 2 के आदेशों की पालना बखूबी निभाई है। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध नहीं की गई। अपीलांट एक कर्मठ कार्यकर्ता है। रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने दिनांक 26.6.2020 को पत्र क्रमांक 226 क आधार पर अपीलांट की सेवायें समाप्त कर दी और अपने आदेश में श्रीमान उपनिदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं झुंझुनू के पत्र क्रमांक 14109 दिनांक 24.6.2020 के अनुमोदन पत्र के प्राप्त होने के बाद सेवाएं समाप्त की जबकि अपीलांट को रेस्पोडेंटस ने इस बाबत कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर झुन्झनू

अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट ने 14 वर्ष तक आंगनबाडी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवायें प्रदत्त की हैं और इस कार्यकाल के दौरान कोई अनुशासनहीनता एवं निर्देशों की अवहेलना कभी नहीं की गई। रेस्पोंडेंट नंबर 2 के द्वारा पारित आदेश भी इस बात को कहीं स्पष्ट नहीं करता, कि कौनसे कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया और कौनसे उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना उच्चाधिकारियों ने की है। इस प्रकार रेस्पोंडेंट नंबर 2 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.6.2020 खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेंट नंबर 2 के आदेश दिनांक 26.6.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

दौराने बहस रेस्पोंडेंट नंबर–2 उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग,झुंझुनू ने बताया कि श्री नीलम शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर मानदेय सेवा से पृथक किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट ने 14 वर्ष तक आंगनबाडी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवायें प्रदत्त की हैं और इस कार्यकाल के दौरान कोई अनुशासनहीनता एवं निर्देशों की अवहेलना कभी नहीं की गई। रेस्पोंडेंट नंबर 2 के द्वारा पारित आदेश भी इस बात को कहीं स्पष्ट नहीं करता, कि कौनसे कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया और कौन से उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना उनके द्वारा की गई है।

मेरे द्वारा उप निदेशक महिला एवं बाल विकास अधिकारी,झुंझुनू द्वारा श्रीमती नीलम शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय सेवा से पृथक किये जाने के आदेश एवं पत्रावली का ध्यानपूवक अवलोकन किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी चिड़ावा के आदेश क्रमांक 229–31 दिनांक 26.6.2020 के द्वारा श्रीमती नीलम शर्मा को अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की बार–बार अवहेलना के आरोप में मानदेय सेवा से पृथक किये जाने का आदेश पारित किया गया है। लेकिन उनके द्वारा यह नहीं बताया गया कि अपीलांट द्वारा किस उच्च अधिकारी के किन–किन आदेशों की कब–कब अवहेलना की गई और रेस्पोंडेंट द्वारा पूर्व में उनके विरूद्ध कब

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:31 IST
Reason: SelfAttested

क्या कार्यवाही की गई, अपीलांट को अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारियों की अवहेलना किये जाने के संबंध में पूर्व में कोई नोटिस आदि दिया गया हो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा ना ही रेस्पोडेंट द्वारा इस तरह का कोई दस्तावेज अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिससे रेस्पोंडेंट के कथानों की पुष्टि होती हो। रेस्पोंडेंट नंबर–2 के मौखिक कथनों की पुष्टि किसी दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं होती है। अपीलांट 14 वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और उसके द्वारा अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की बार–बार अवहेलना की गई हो और उसे रेस्पोंडेंट नंबर–2 द्वारा लिखित में कोई नोटिस नहीं दिया गया हो, रेस्पोंडेंट नंबर–2 का यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवे परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी चिड़ावा के आदेश क्रमांक 226 दिनांक 22.06.2020 निरस्त किया जाता है । अपीलांट श्रीमती नीलम शर्मा को भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अपने कार्य एवं व्यवहार में सुधार कर पदीय कर्तव्यों एवं विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विभागीय कार्य सम्पादित करें तथा आपसी समन्वय के साथ कार्य सम्पादित करें। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

12.3.21

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.3.21

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:31 IST
Reason: SelfAttested